

तारीख
हुकम

सरकार की श्रिया के
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
91, L.R. Act 1956

मु.सं. 8/17

हुकम
में जारी

निर्णय दिनांक 15-3-17

15-3-17

पत्रावली पेश हुई। जे सायलान अतिक्रमी उप-बंदि
संज्ञेप में विवरण इस प्रकार है कि पत्रवासी हल्हू
ओलन्दा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है
कि राजकीय भूमि ग्राम खोहरा आ.ख.नं. 103 कुल
रकबा 1.64 हेक्टे. जिस जमीन बंजड कट्टीम में से
रकबा 0.10 एकर पर फसल गेहूं बोकर श्रीमती श्रिया
पति सिरदार ब कल्लू पुत्र कमल खां जाति भव
निवासी खोहरा तह. कामों में अतिक्रमण कर लिखा
है।

प्रकरण दर्ज रजि. किया जाकर जे सायलान के
विश्व राजस्थान श्र- राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया।
जिसकी पालना में जे सायलान अतिक्रमी उप-बंदि
अदालत नहीं आया व ना ही कोई जवाब पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अतिक्रमण
रकबा बंजड कट्टीम की एवं राजकीय व सावजनिक उपयोग
की भूमि है। जिससे अतिक्रमियों को वेदवली किया
जाना उचित है।

अतः आदेश है कि राजस्थान श्र- राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जे सायलान
अतिक्रमी श्रीमती श्रिया पति सिरदार ब कल्लू पुत्र
कमल खां काम भव निवासी खोहरा के ख.नं. 103 रकबा
0.10 हेक्टे. बंजड कट्टीम पर फसल गेहूं बोकर
अतिक्रमण से वेदवली किया जाता है तथा लगान
0.90 की पचास गुणा राशि = 45/- रुपये (पैंतासीस)
से कटौत किया जाता है। जिसमें T.R.A को मांग काम
कराई जावे व पत्रवासी। गिरदावर के पैनली वरली
एवं वेदवली हेतु तथा खरी फसल की नीलागी कर
द्वै नीलागी स्वीकृति हेतु लिखा जाकर पत्रावली
फसल शुमार होकर वाड लक्ष्मील दायिल दफ्तर
है।

निर्णय आज दिनांक 15-3-17 को खुले न्यायालय
में लिखा जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार
कामों (भरतपुर)

दिनांक 2016-17
के पेज नं० 99 व 100
कायमा की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार